भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2246

सोमवार, 8 मार्च, 2021 / 17 फाल्गुन, 1942 (शक)

बाल श्रम के मामले

2246. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में बाल श्रम के मामले बहुत अधिक हैं और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मार्च, 2020 से बाल श्रम से संबंधित राज्य/जिले-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा आदि का परिणाम है। बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम,1986 में अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या कार्य पर पूर्ण प्रतिषेध का उपबंध है और जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14-18 वर्ष) के नियोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुख्य कामगारों की संख्या 43.53 लाख थी। राज्यवार आँकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

* *****

<u>अनुबंध</u>

'बाल श्रम के मामले' से संबंधित डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.03.2021 **के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 2246 **के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुख्य कामगारों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम /**	**5-14 वर्ष के आयु वर्ग में मुख्य कामगारों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	999
2.	आंध्र प्रदेश*	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3135
7.	छत्तीसगढ	63884
8.	दादरा और नागर हवेली	1054
9.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	774
10.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू और कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	**4353247**

*** तेलंगाना सहित**

*****